आदेश पत्रक

पत्रक – सा० नन्दकिशोर उर्फ नन्हकु साव बनाम शिवप्रसाद साहु से .... तक

– बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 29 /2021-22

का प्रकार — मिसिल वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
22.9.21	आवेदक नन्दकिशोर साव उर्फ नन्हकु साव पिता स्व० निरंजन साव ग्राम- नगड़ा थाना- बालूमाथ के द्वारा आवेदन दिया गया है कि, हाल सर्वे खतियान में मेरे हिस्सेदार शिवप्रसाद साहु पिता स्व. माधो साव ग्राम- नगड़ा के नाम एक खाता मेरे खरीदगी केवाला एवं हिस्से की भूमी का दर्ज हो गया है। उक्त गड़बड़ी की सुधार कर पंजी-II मे नन्दकिशोर साव उर्फ नन्हकु साव के नाम दर्ज करने हेतु आवेदन के आलोक में वाद आरम्भ की जाती है।	

भूमी का विवरण

मौजा	खाता		प्लोट नं०	रकबा (एकड़ में)	
नगड़ा	RS / CS	65 / 67	671 / 399	0.68ए. / 0.53ए.	
	RS / CS	65 / 09	896 / 360	0.13ए. / 0.13	
	RS / CS	65 / 26	960, 962 / 360	0.14ए. / 0.14ए०	
	RS / CS	65 / 09	969 / 933	0.26ए. / 0.26ए	
	RS / CS	65 / 37	963 / 375	0.38ए. / 0.38ए.	

उपरोक्त भूमी नन्दकिशोर साव उर्फ नन्हकु साव पिता निरंजन साव को केवाला से प्राप्त है।

P.T.O

Scanned with CamScanner

आदेश पत्रक

से

आदेश पत्रक -- ता० ——————— वाद संख्या- 29 /2021-22

अंचल - बालूमाथ जिला- लातेहार

वाद का प्रकार ——— मिलिकवाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... गई कार... बारे में ... तारीख ...
1	2	3
	मौजा: ममाड़ी; खाता नं.: RS 65 / CS 22; प्लॉट नं.: 928,935 / 368; रकबा एकड़ में: 0.25 D. / 0.27 D. उपरोक्त भूमि नन्दकिशोर साव एवं नन्दकु... साव पिता स्व. निरंजन साव एवं शिवप्रसाद साहु पिता स्व. ... साव के नाम केवाला द्वारा खरीदगी भूमी अंचलगत है। उभयपक्ष को नोटिस निर्गत करें। उभय पक्ष वाद की अगली तिथि को अपने- अपने समर्थन में राजस्व कागजातों के साथ उपस्थित रहेंगे। वाद की अगली तिथि 30.9.21 को निर्धारित की जाती है। 22.9.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	नोटिस पाया बालगोविंद गंझू 23-09-2021
30-9-2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। दोनों पक्ष के द्वारा भूमि पर दावेदारी प्रस्तुत की गई। उभय पक्ष को राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय दी जाती है। अभिलेख दिनांक 23.10.21 को पेश करें। 30.9.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

– ता० ———————— से ———————— तक

…माथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 29 /2021–22

…र ——— [illegible] वाद

… …र	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
…021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि के संबंध में अधिकार अभिलेख दिखाया गया तथा बताया गया की उक्त बंटवारा से प्राप्त भूमि में जोत कोड़ करता है परन्तु सर्वे में भी गलत प्रकार साहू का नाम आ गया है। द्वितीय पक्ष अपनी बात नहीं रख पाए। अंचल अमीन थाना 65 की कुल प्लाटों का C.S नक्शा में [illegible] करायें। अभिलेख दिनांक 1.11.21 को रखें। 23.10.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
…2021	अभिलेख उपस्थापित। पदा० के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण सुनवाई नहीं हो पायी। अभिलेख दिनांक 24.11.21 को रखें। अंचल अमीन थाना 65 की कुल प्लाटों का C.S नक्शा [illegible] करायें। 1.11.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

...पत्रक – ता०

वाद संख्या– 25 /2021–22

... – बालूमाथ जिला– लातेहार

... का प्रकार

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24-11-21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्षकार उपस्थित। द्वितीय पक्षकार अनुपस्थित। द्वितीय पक्षकार को नोटिस निर्गत किया जा रहा है परन्तु वे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। प्रथम [illegible] लगाता है उनको कुछ कहना नहीं है। प्रथम पक्षकार के द्वारा बताया गया की खाता 65 प्लाट सं० 935 के 15 डि० अमि रकबा में 10 डी० अमि नक्शा प्लाट सं० [illegible] पढ़ता है परन्तु [illegible] के त्रुटि के ~~[illegible]~~ [illegible] विक्रयपत्र [illegible] का के कारण अधिकार अभिलेख में [illegible] प्लाट [illegible] कर गया है। इस खाता 65 के अन्य प्लाट 671, 896, 960, 962, 963, 965 में अमि बँटवारा के [illegible] है। प्रथम पक्ष का कहना है अधिकार अभिलेख के [illegible] है। प्रथम पक्ष का नाम ~~विलोपित किया जाए~~ जो के विक्रयपत्र [illegible] का नाम से [illegible] किया जाए। पंजी 2 में [illegible] नाम से [illegible] करना आवश्यक है। बाद में द्वितीय पक्ष की बात [illegible] अभिलेख दिनांक 8.12.21 को नोटिस निर्गत करें। इति ह० 24.11.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

...वर्ष – सां० ________ से ________ तक

बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 29 /2021–22

...का प्रकार मिटिहा वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
..12/2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। वाद की अगली तिथि 18.12.21 को निर्धारित की जाती है। (हस्ताक्षर) 8.12.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
..12.2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। वाद की अगली तिथि 5.1.22 को निर्धारित की जाती है। (हस्ताक्षर) 18.12.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अ...

आदेश पत्रक

———————— से ————————

...श पत्रक – सं० ———————— वाद संख्या- 21 /2021–22

...ल – बालूमाथ जिला– लातेहार

...द का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
05.01.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य संबंधित कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। वाद की अगली तिथि 12.1.22 को निर्धारित की जाती है। [हस्ताक्षर] 5.1.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
12.01.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। वाद की कार्रवाई संभव नहीं हो पायी। अभिलेख दिनांक 29.1.22 को रखें। [हस्ताक्षर] 12.1.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

आदेश पत्रक

पत्रक – सं० ———— से ———— तक

– बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– ९१ /2021

का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
२१.1.22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। वाद की अगली तिथि 10.02.2022 को निर्धारित की जाती है। (हस्ताक्षर) २१.1.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
10.02.2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 21.2.22 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) 10.2.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – सं० ________ से ________

वाद संख्या– 21 /2021

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार

वाद का प्रकार ________

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
[illegible] 21.02.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। प्रथम पक्ष की जमीन online में द्वितीय पक्ष के नाम [illegible] का [illegible] है। प्रथम पक्ष के द्वारा [illegible] जमीन को [illegible] एवं कुछ जमीन व केवाला से [illegible] है जो online में [illegible] के नाम दर्शाया गया है [illegible] करें [illegible] का [illegible] जाँच प्रतिवेदन है। वाद की अगली तिथि 28.2.22 को निर्धारित की जाती है। 21.2.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
28.02.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 15/03/2022 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

...वक – ता० .... से .... तक

बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 29 /2021–22

...का प्रकार – विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5.03.22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। वाद की अगली तिथि 30-03-2022 को निर्धारित की जाती है। अंचल अधिकारी बालूमाथ।	
30.3.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम उपस्थित। द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष को उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख 18-04-2022 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———— से ———— तक

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 29 /2021–22

वाद का प्रकार – विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18.4.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष को अंतिम नोटिस (हल्का) दें। अगली सुनवाई की तिथि को अनुपस्थित रहते हैं तो एक तरफा सुनवाई की जायेगी। अभिलेख दिनांक 07.05.22 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी बालूमाथ	
7.5.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित पाए गए। उनकी अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस वाद में कुछ भी कहना नहीं है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। वाद को आदेश पर रखा जाता है। आदेश की तिथि 26.5.22 को निर्धारित की जाती है। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

पत्रक – ता० ———————— से ———————— तक

– बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 29 /2021–22

वाद का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
26.05.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्षकार के द्वारा लिखित बहस उपलब्ध करने हेतु समय की माँग की गयी। उन्हें बहस आने पर समय दी जाती है कि 3.6.22 को अंतिम रूप से समर्पित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ	
03.06.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्षकार के द्वारा निर्धारित अवधि में अपना स्टाम्प एवं राजस्व कागजात उपलब्ध नहीं करा पाए। ऐसा प्रतीत होता है, द्वितीय पक्ष को अब इस वाद में कुछ कागजात को देना है और कुछ भी तर्क प्रस्तुत नहीं करना है। वाद को आदेश पर रखा जाता है। अगली तिथि दिनांक 9.6.22 निर्धारित की जाती है। अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अं...

आदेश पत्रक

से

आदेश पत्रक – सं० वाद संख्या- 29 /2021-22

प्रखंड – बालूमाथ जिला- लातेहार

वाद का प्रकार – मिसिलवाद

आदेश की क्रमांक और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
9.6.2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रखं० के विधि-व्यवस्था में रहने के कारण वाद में अग्रेतर कार्रवाई संभव नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 20.6.22 को उपस्थापित करें। उभय पक्षकार को नोटिस निर्गत करें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी बालूमाथ
20.6.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 27.06.2022 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी बालूमाथ

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

...क – ता० ________________ से ________________ तक

...बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 29 /2021-22

...का प्रकार ________________

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
27.6.22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्षकार उपस्थित द्वितीय पक्षकार अनुपस्थित। अन्य सरकारी कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 4.7.22 को आदेश हेतु रखें। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। 27.6.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
4.7.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। पदा० के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण सुनवाई पूर्ण नहीं हो पायी। अभिलेख दिनांक 18.7.22 को रखें। 4.7.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
18.7.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षकारों के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य एवं तर्क को समझा तथा गहन अवलोकन किया। पूर्व से आज आदेश हेतु तिथि निर्धारित थी। उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया था.	

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालू

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक — ता० ____________ से ____________

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 29 /2021-23

वाद का प्रकार ____________

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
18.7.22	प्रथम पक्षकार मो० किशोर खान पिता – स्व० निरंजन खान की तरफ से उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम पक्षकार का कहना है कि C.S खाता 67, प्लाट - 399 रकबा - 58 डी० (R.S खाता - 65, प्लाट - 671 रकबा - 68 डी०) भूमि आपसी बंटवारा से प्राप्त हुई है। बंटवारा से सम्बंधित साक्ष्य एवं उक्त भूमि का offline स्कैन रसीद उपलब्ध कराया गया। प्रथम पक्षकार का कहना है की C.S खाता - 9, प्लाट - 360 रकबा 13 डी० (R.S खाता - 65, प्लाट - 896, रकबा - 13 डी०) यह भी आपसी बंटवारा से प्राप्त है। आपसी बंटवारानामा संलग्न है तथा offline स्कैन रसीद भी दिया गया। प्रथम पक्षकार का कहना है कि C.S खाता - 26, प्लाट - 376, रकबा - 14 डी० (R.S खाता - 65, प्लाट - 960, रकबा - 10 डी० एवं प्लाट - 962, रकबा - 4 डी०) भूमि भी आपसी बंटवारा से प्राप्त है तथा offline स्कैन रसीद निर्गत है। इसी प्रकार C.S खाता - 9, प्लाट - 933, रकबा - 26 डी० (R.S खाता - 65, प्लाट - 969, रकबा 26 डी०) प्रथम पक्ष को आपसी बंटवारा से प्राप्त है जिसका पूर्व से स्कैन रसीद निर्गत है। बंटवारानामा संलग्न है। प्रथम पक्षकारों का कहना है कि C.S खाता - 37, प्लाट - 375, रकबा - 37 डी० (R.S खाता - 65, प्लाट - 963 रकबा - 38 डी०) भूमि केवाला से 1958 में प्राप्त हुई है।

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

...क – ता० ______________ से ______________ तक

... बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 29 / 21-22

...का प्रकार ______________

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
..2-22	इस केवाला से प्राप्त भूमि का लगान रसीद भी निर्गत है। इसी प्रकार प्रथम पक्षकार का कहना है कि C.S खाता - 22, प्लाट - 368, रकबा 27 डी० (R.S खाता - 65, प्लाट - 928, रकबा - 10 डी०, प्लाट - 935, रकबा - 15 डी०) कुल रकबा 25 डी० भूमि पर अलग हिस्सा हमारा बनता है, इसलिए हमें मिलना चाहिए। इस प्रकार प्रथम पक्षकार के द्वारा उपरोक्त खाता एवं प्लाटों की भूमि में अपना भाग को अलग कर लगान रसीद निर्गत करने का आग्रह किया गया है। द्वितीय पक्षकार का कहना है कि विगत 50 सालों से यह संयुक्त सम्पत्ति रही है। सभी भूमि पर संयुक्त दखल कब्जा रहा है साथ में जोत-कोड़ सभी से हमारा पूर्वज करते आ रहे हैं तो इनका यह भी मानना है कि प्रथम पक्ष अपने हिस्से के अलावा हम लोगों की हिस्से वाली भूमि भी विक्रय किए हैं। द्वितीय पक्षकार का कहना है कि C.S खाता - 67, प्लाट - 399, रकबा 58 डी० (R.S खाता - 65, प्लाट - 671, रकबा - 68 डी०) में आधा भाग हमारे हिस्से का है। प्रथम पक्षकार गलत करके लगान रसीद कटवा लिए है। इसी तरह द्वितीय पक्षकार का मानना है कि	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालू

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———————— से ————————

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– /

वाद का प्रकार ————————————

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
18.7.22	C.S खाता-22, प्लाट-368, रकबा 27 डी० (R.S खाता-65, प्लाट-928, रकबा-10 डी०, प्लाट-935, रकबा-15 डी०) कुल रकबा 25 डी० संयुक्त सम्पत्ति है। इसमें हिस्सेदारों के हिस्सा अलग बनता है। द्वितीय पक्षकार का यह कहना है कि C.S खाता-37, प्लाट-375, रकबा-37 डी० (R.S खाता-65, प्लाट-963, रकबा-38 डी०) भूमि प्रथम पक्षकार के द्वारा रामानन्द साव की मिलीभगत से जाली रसीद कटवाए है। द्वितीय पक्षकार का यह भी कहना है की C.S खाता-26, प्लाट-376, रकबा-14 डी० (R.S खाता-65, प्लाट-960, 962, रकबा-14 डी०) भूमि पर इनका भी कब्जा है। इसी प्रकार C.S खाता-9 प्लाट-933, रकबा-26 डी० (R.S खाता-65, प्लाट-965 रकबा-26 डी०) भूमि पर था C.S खाता-9, प्लाट-360, रकबा-13 डी० (R.S खाता-65, प्लाट-856, रकबा-13 डी०) भूमि पर भी इनके द्वारा दावा किया गया। द्वितीय पक्षकार के द्वारा सभी भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत किया तथा प्रथम पक्ष के आग्रह को खारिज करने हेतु आग्रह किया गया। तर्क, भूमि पर उभय पक्षकारों के द्वारा दिए गए दावा तथा सभी उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन किया गया। सभी साक्ष्यों राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन के पश्चात

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

...क – सं० ———————————————— से ———————————————— तक

... बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या–   /

...का प्रकार ————————————————————————————

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
8-7-22	निम्न तथ्य सामने आए :— 1. C.S खाता 67, प्लाट-355, रकबा-58 डी० जिसका R.S खाता-65, प्लाट-641, रकबा-62 डी० बना है। यह भूमि आपसी बंटवारे में ~~...~~ प्रथम पक्षकार को प्राप्त हुई है। इस भूमि का लगान रसीद भी प्रथम पक्षकार के द्वारा कटाया जाते आ रहे हैं। अंचल अधिकारी बालूमाथ के द्वारा बंटवारा वाद 317/13-14 दिनांक 22-7-13 को शुद्धि पत्र निर्गत किया गया है। चूंकि यह प्लाट हाल सर्वे में 68 डी० का पाया गया है। अतिरिक्त द्वितीय पक्षकार को इसमें से अतिरिक्त हिस्सा का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है। आपसी बंटवारा में द्वितीय पक्षकार के पिता भी थे तथा द्वितीय पक्षकार भी यह बंटवारे को स्वीकारते हैं। 2. C.S खाता-9, प्लाट-360, रकबा-13 डी० भूमि जिससे R.S खाता-65, प्लाट-856, रकबा-13 डी० बना है। यह भूमि भी आपसी बंटवारा में प्रथम पक्ष को प्राप्त है। इसका लगान रसीद निर्गत है। अंचल अधिकारी बालूमाथ के द्वारा वाद सं० 317/13-14 दिनांक 22-7-13 के द्वारा शुद्धि पत्र निर्गत है। चूंकि आपसी बंटवारे में द्वितीय पक्षकार स्वयं शामिल थे	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ________________ से ________________

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या–   /

वाद का प्रकार ________________

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	तथा उक्त वंशजों की वंशावलियाँ को यह स्वीकार किए हैं। इसलिए इस भूमि का प्रथम पक्ष का दावा स्वीकार किया जाता है। द्वितीय पक्ष को इस भूमि का कोई अधिकार नहीं बनता है।	
	3. C.S खाता-37, प्लाट-376, रकबा-37 डी. जिसका R.S खाता-65, प्लाट-963, रकबा-38 डी. बनता है। यह भूमि online में संयुक्त रैयती दर्ज है। प्रथम पक्ष यह भूमि 1956 में केवाला के द्वारा क्रय किया था। केवाला सं० 1981 है। अंचल बालूमाथ से दाखिल-खारिज हुआ एवं offline लगान रसीद निर्गत है। यह H.No 115 का देखा जा सकता है। केवाला की छाया प्रतिलिपि संलग्न है। भूमि online में यह संयुक्त सम्पत्ति है तथा online रिकॉर्ड त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्त लाभ द्वितीय पक्षकार को नहीं दिया जा सकता है। इस पर भी प्रथम पक्ष का दावा मजबूत पायी जाती है।	
	4. C.S खाता-26, प्लाट-376, रकबा 14 डी० जिसका R.S खाता-65, प्लाट-960, 962, रकबा-10 डी०, 4 डी० कुल 14 डी० बनता है। यह भूमि भी आपसी बंटवारे में प्रथम पक्षकार को प्राप्त हुई है। अंचल अधिकारी बालूमाथ के वाद 317/13-14 दिनांक 22-7-13 के द्वारा शुद्धि पत्र निर्गत है।	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

से —————— तक

जिला– लातेहार   वाद संख्या–   /

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18.7.22	आनलाईन लगान रसीद निर्गत है तथा प्रथम पक्ष लगान देते आ रहे हैं। बंटवारा वाला संलग्न है तथा द्वितीय पक्ष स्वयं बंटवारा किए तथा स्वीकार है। online में संयुक्त सम्पत्ति रहने से द्वितीय पक्षकार को लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस भूमि पर प्रथम पक्ष का दावा स्वीकार की जाती है। 5. C.S खाता-9, प्लाट-933, रकबा-26 डी० जिससे R.S खाता-65, प्लाट-965, रकबा-26 डी० बना है। यह भी आपसी बंटवारा में प्रथम पक्ष को प्राप्त हुई है। अंचल अधिकारी बालूमाथ के द्वारा शुद्धि पत्र निर्गत है। मात्र हाल सर्वे में द्वितीय पक्ष का नाम शामिल होने से द्वितीय पक्ष को लाभ नहीं दिया जा सकता है। यह भूमि पर प्रथम पक्ष का दावा बनता है। 6. C.S खाता-22, प्लाट-268, रकबा-27 डी० जिससे R.S खाता-65, प्लाट-928, 935, रकबा-10 डी० एवं 15 डी० कुल 25 डी० पाया गया है। यह भूमि पूर्व के भी संयुक्त सम्पत्ति की तरह online ROR में भी संयुक्त सम्पत्ति रहती आयी है। प्रथम पक्षकार के द्वारा इस में अलग हिस्से की दावेदारी की जाती है जो स्वीकार किया जाता है। [illegible]	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———————— से ————————

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– /

वाद का प्रकार ————————

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	जाना उचित प्रतीत पक्ष को दिया जाता है। इसी तरह से प्लॉट- 975, 931, रकबा 11 डी., 12 डि. कुल 23 डी० भूमि को भी ऑफलाइन-ऑनलाइन एवं दस्तावेजों को संज्ञान ली जाती है। उपरोक्त विवरणी एवं तथ्यों के आधार पर ऑनलाइन खाता 65 के विभिन्न प्लॉटों पर प्रथम पक्ष का दावा स्वीकार योग्य है। चूंकि हाल सर्वे त्रुटिपूर्ण है तथा राजस्व विभाग के द्वारा इसमें पुनः संशोधन हेतु निर्देश प्राप्त है इसलिए online ROR को मात्र राजस्व प्रासंगिक साधन माना गया है उससे कोई वैध दस्तावेज स्वीकार नहीं किया गया है। आरक्षित स्वामित्व का आदेश, मालवीय एवं न्यायालय फैसला का आदेश, आदिवासी एवं न्यायालय टीम का कुल राजस्व आदेश भी पूर्व में निर्गत लगान रसीद को स्वीकार किया गया तथा वैध माना गया है। इस प्रकार प्रथम पक्ष के द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों, सभी राजस्व दस्तावेज एवं न्यायालय आदेश इत्यादि के आधार पर मौजा- नगाड़ा, खाता सं. 65 के विभिन्न प्लॉटों की जमाबंदी प्रथम पक्ष को कायम करने का आदेश पारित किया जाता है।	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

—————— से —————— त

…क – था० बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 23 / 21-22

…का प्रकार ——————

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18.7.22	खाता 65 का प्लॉट- 6?1 का रकबा- 68 डी०, प्लॉट – 856 का रकबा 13 डी०, प्लॉट-963 का रकबा 38 डी०, प्लॉट - 960, 962 का रकबा - 10 डी० एवं 4 डी०, प्लॉट- 969 का रकबा - 26 डी० की सम्पूर्ण जमाबंदी प्रथम पक्ष के नाम से कायम की जाती है। साथ ही खाता - 65 का प्लॉट - 928, 935 रकबा - 10 डी०, 15 डी० की जमाबंदी उभय पक्ष के आधा-आधा कायम करने की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही 934, 931 प्लॉट की रकबा 11 डी०, 12 डी० कुल 23 डी० भी उभय पक्ष के बीच बंटवारा की जाती है। उपरोक्त आदेश उपलब्ध कागजों एवं online दस्तावेजों, बंटवारानामा, रसीद निर्गत, न्यायालय आदेश इत्यादि के अध्ययन पर किया गया है। मै इस निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में असंतुष्ट पक्ष अपील करने के लिए स्वतंत्र है। आदेश की प्रति राजस्व कर्मी को अनुपालनार्थ भेजें। ताकि आवश्यक सुधार की जा सके। [illegible] [illegible] संशोधित 18.7.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ 18.7.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Digitally signed by Mohammad AFTAB ALAM
Date: 2023.02.13 13:20:36 +05:30
Location: 192.168.188.91

Scanned with CamScanner